न्यायालय सिविल जज(सी0 डि0)/ए 0 सी0 जे0 एम 0, सम्भल स्थित चन्दौसी।
विविध वाद संख्या– 65/2026
पंजीयन सं0– 1011/2026
भूपेन्द्र सिंह बनाम दीपक आदि।
दिनांक– 06.07.2026

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जाब्ता फौजदारी पर सुना।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जाब्ता फौजदारी आवेदक भूपेन्द्र सिंह की ओर से अभियुक्तगण दीपक आदि के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराते हुए विवेचना कराये जाने की याचना की गई है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 में प्रार्थी ने कथन किया है कि प्रार्थी अपने पुत्र विशाल एवं गांव के ही भरतेन्द्र के साथ मोटर साइकिल से दिनांक 06.05.2026 समय लगभग 11.50 बजे रात्री ग्राम भरकऊ से बारात करके अपने घर वापस लौट रहे थे तभी रास्ते में ग्राम खेड़ा खास बिजली फीडर के समीप दीपक, धीरज पुत्रगण कामेन्द्र सिंह तथा गौरव व आकिल उपरोक्त लोगों ने प्रार्थी की मोटरसाइकिल रोक ली जो अवैध तमंचे व लाठी–डंडों से लैस थे। उपरोक्त लोगों ने प्रार्थी की मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली और मोटरसाइकिल ले जाने लगे तभी प्रार्थी ने उपरोक्त लोगों से मोटरसाइकिल ले जाने को मना किया तभी उपरोक्त मुल्जिमानों ने आक्रामक होकर प्रार्थी व प्रार्थी के पुत्र विशाल के साथ गंदी–गंदी गालियां देते हुये मारपीट की और उपरोक्त लोगों ने प्रार्थी की जेब में रखे 40 हजार रुपये निकाल लिये। जब प्रार्थी ने रुपये निकालने का विरोध किया तो सभी लोगों द्वारा प्रार्थी के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर तमंचे से किये जिससे प्रार्थी बाल–बाल बच गया। प्रार्थी के शोर मचाने पर उपरोक्त मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देकर भाग गये।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के समर्थन में पुलिस अधीक्षक, सम्भल को प्रेषित पत्र की छायाप्रति व रजिस्ट्री रसीद की मूल प्रति को दाखिल किया गया।

थाना बनियाठेर से आख्या इस आशय की प्राप्त है कि कथित घटना के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई भी अभियोग पंजीकृत नहीं है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थनापत्र में आवेदक द्वारा किये गये कथनों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को घटना के तथ्यों एवं परिस्थितियों की पूर्ण जानकारी है। प्रार्थनापत्र में ऐसा कोई कथन वर्णित नहीं है, जिससे ऐसा कोई साक्ष्य संकलित किया जाना हो, जो विवेचना कराये जाने के उपरान्त ही संकलित किया जा सकता है। प्रार्थनापत्र में कोई तकनीकी तथ्य निहित नहीं है। प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रतीत होता है कि जिन तथ्यों का वर्णन आवेदक ने अपने प्रार्थनापत्र में किया है, उन तथ्यों के संबंध में वह स्वयं साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। इस संबंध में निम्न विधि व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं-

माननीय उच्चतम न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय विधि **सुखवारी लाल बनाम उ 0 प्र 0 राज्य एवं अन्य 2007(59) एस 0 सी0 739 एवं अंजुम बनाम राज्य(2008) (61 एस 0 सी0 सी0181)** में यह सिद्धान्त प्रतिवादित किया गया है कि धारा 156(3)दं0 प्र 0 सं0 के अधीन प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर न्यायालय द्वारा हत्या, आचरण एवं व्यपहरण आदि गंभीर मामले में ही

अभियोग पंजीकृत करने हेतु आदेश पारित कर सकता है। शेष मामलों में न्याायलय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए मामले को परिवाद के रूप में दर्ज कर सकता है।

That also Hon'ble SC has held in case of **Lalaram V. State of U.P. and other, Criminal Rivision NO. 1611 of 2020 dated on 18.12.2020(40.09)**. Where the Complaint is in possession of the complete details of all the accused and the witnesses who here to be examined and neither is needed nor any such material evidence is required to be collected which can be done only by the police, no "Investigation" would normally be required and the procedure of complaint case should be adopted.

आवेदक द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत करने से पूर्व प्रश्नगत घटना के संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित थानाध्यक्ष को भी प्रार्थनापत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसकी प्रति पत्रावली पर संलग्न है, जिसका सम्यक अवलोकन न्यायालय द्वारा किया गया।

प्रश्नगत मामले में सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं उपरोक्त निर्णयज विधि-व्यवस्थाओं में दिये गये निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4)भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रथम दृष्टया परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अं०धारा- 173(4) बी0 एन 0 एस 0 एस 0 परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है। आवेदक सूची गवाहन दाखिल करे। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 223 बी0 एन 0 एस 0 एस 0 दिनांक 17.08.2026 को पेश हो।

सिविल जज(सी०डि०)/
ए 0 सी0 जे0 एम 0
संभल स्थित चंदौसी।
J.O. CODE UP2562